Gram : UNIVERSITY
E-mail: regis...muknp@gmail.com, csjmuaffiliation@gmail.com
फोन: 0512-2580044
फोन: 0512-2582251

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR
(पूर्ववर्ती कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर)

(Formerly Kanpur University, Kanpur)

Kalyanpur, Kanpur–208024
कल्यानपुर, कानपुर–208024

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि. / सम्ब. / 165 / 2022 दिनांक : 10 / 5 / 2022

सम्बद्धता–आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा (दिनांक: 05.05.2022) एवं कार्यपरिषद की अनुमति की प्रत्याशा में **अजीज गर्ल्स महाविद्यालय, जहाँगीरपुर, कानपुर देहात को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में (50 पूर्व + 50 अतिरिक्त) कुल 100 सीट्स (02 यूनिट)** में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **दिनांक 01.07.2022 से आगामी दो वर्षों (पाठ्यक्रम अवधि)** हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:–

1. संस्था / महाविद्यालय की स्थलीय / ऑन–लाइन निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र–**बी** में इंगित समस्त कमियों **(निरीक्षण आख्या के अनुसार पुस्तकालय में पुस्तकों का अभाव तथा कम्प्यूटर एवं बिजली की सुविधा सुचारू रूप से नहीं है, महाविद्यालय में बी०एड० पाठ्यक्रम में 100 सीट्स के सापेक्ष 06 शिक्षक अनुमोदित है, 12 शिक्षकों का अनुमोदन प्रक्रियाधीन है, शासनादेश दिनांक 12.07.2005 के प्राविधानों के अनुसार शपथ पत्र संलग्न नहीं है एवं वेतन भुगतान प्रपत्र संलग्न नहीं है)** को दिनांक 15 जुलाई, 2022 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लेगा **(विश्वविद्यालय के पत्र संख्याः सी०एस०जे०एम०वि०वि० / सम्ब० / 164 / 2022 दिनांकः 10.05.2022 के सम्बन्ध में 02 सप्ताह में सप्रमाणित अनुपालन आख्या विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में याचित पाठ्यक्रम में सत्र 2022–23 हेतु प्रवेश प्रतिबन्धित रहेंगे)।**
2. **सहशिक्षा की अनापत्ति / सम्बद्धता विश्वविद्यालय से प्राप्त किये जाने के पश्चात ही महाविद्यालय द्वारा सहशिक्षा में प्रवेश लिये जायेगें।**
3. संस्था / महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. बी०एड० पाठ्यक्रम में एन०सी०टी०ई० के मानकानुसार आवश्यक शिक्षकों की उपलब्धता एवं निरन्तरता महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
5. बी०एड० पाठ्यक्रम में महाविद्यालय एन०सी०टी०ई० के मान्यता पत्र (Recognition Letter) में अंकित शर्तो तथा एन०सी०टी०ई० के मानकों की निरन्तरता सुनिश्चित करता रहेगा। एन०सी०टी०ई० के मान्यता पत्र में यदि किसी समय एन०सी०टी०ई० द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है या मान्यता वापस ली जाती है तो उस स्थिति में महाविद्यालय तत्काल विश्वविद्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करेगा।
6. जिन संस्थानों / महाविद्यालयों को सशर्त सम्बद्धता / सम्बद्धता की संस्तुति की गयी है, उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्ते निरन्तर पूरी कर रहा है।
7. यदि संस्था / महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तथा भूमि व भवन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती पत्रों में उठाये गये बिन्दुओं का पुष्टिकरण भविष्य में होता है तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
8. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली / अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
9. बी०एड० पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में संस्था द्वारा एन०सी०टी०ई० उ०प्र० शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
10. महाविद्यालय समय–समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।
11. मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
12. महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात् ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश राज्य स्तरीय बी०एड० प्रवेश परीक्षा / काउसिलिंग, शासन / विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अधीन किया जाएगा।
13. **बी०एड० पाठ्यक्रम में आवंटित सीटों के सापेक्ष बी०एड० काउन्सिलिंग के पूर्व महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार शिक्षक विश्वविद्यालय से अनुमोदित होना सुनिश्चित किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय का नाम बी०एड० काउन्सिलिंग सत्र 2022–23 हेतु आयोजक विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं किया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदयित्व महाविद्यालय का होगा।**

(डॉ० अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर मण्डल, कानपुर।
4. प्रबन्धक, अजीज गर्ल्स महाविद्यालय, जहाँगीरपुर, कानपुर देहात को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. वैय० सहा० परीक्षा नियंत्रक / कुलसचिव, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
6. सम्बन्धित को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति महाविद्यालय के कालेज लॉग–इन में अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. निदेशक, सी०डी०सी० / डीन, सम्बद्धन।
8. प्रभारी, पी०एम०यू०।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

(डॉ० अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव